



## ‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी’ में देरी

### प्रलिस के लयः

संसदीय स्थायी समलतऱ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी

### मेन्स के लयः

दवलल और दवललयलपन संहतल, दवलल और दवललयलपन संहतल (संशोधन वधलयक), 2021

## चरुा में कुयों?

हलल ही में वततऱ संबन्धी [संसदीय स्थायी समलतऱ](#) द्वारा [दवलल और दवललयलपन संहतल \(IBC\), 2016](#) के तहत ‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी’ प्रकुयल में देरी पर धुयान आकुषतऱ कुयल गलल है ।

- इसके तहत नेशनल कुंपनी लॉ टुरबऱयूनल (NCLTs) में लगलतलर हो रही रकुतऱयों के बलरे में कॉर्पोरेट मलमलों के मंत्रललय (MCA) को सूकुतल कुयल गलल है ।
- इससे पहले सरकुलर ने लोकसभल में [दवलल और दवललयलपन संहतल \(संशोधन वधलयक\), 2021](#) पेश कुयल, जो [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों \(MSMEs\)](#) के लयल एक वैकुलपकु दवलल सललधलन प्रकुयल पेश कुलतल है जसलै [पूरी-पैकेज्ड दवलल सललधलन प्रकुयल \(PIRP\)](#) कुलल जलतल है ।

## दवलल और दवललयलपन संहतल:

- इसे वरुष 2016 में अधनलयलमतऱ कुयल गलल थल । यह वुयलवसलयकु फरुमों के दवलल सललधलन से संबन्धतऱ वधलनऱन कलनूनों को सललहतल कुलतल है ।
- यह दवललयलपन कुल सलसुयल के सललधलन के लयल सभल वरुगों के देनदलरों और लेनदलरों को एक सललन मन्च प्रदलन कुलने के लयल मौजूदल वधलयी ढलँचे के प्रलवधलनों को मजुबूत कुलतल है ।

## नोट

- इन्सॉल्वेंसी:** यह एक ऐसी सुथतलऱ होतल है, जसलमें कुई वुयकुतलऱ कुंपनी अपने बकुलल ःरुण कुुकलने में असमरुथ होतल है ।
- बैकुलरपसी:** यह एक ऐसी सुथतलऱ है जब कुसी सकुषम नुयलललयल दवलल एक वुयकुतलऱल सन्सुथल को दवललयल घुषतल कुल दलल जलतल है और नुयललयल दवलल इसल सललधलन कुलने तथल लेनदलरों के अधकुलरों कुल रकुषल कुलने के लयल उकुतल आदेश दलल गलल हो । यह कुसी कुंपनी अथवल वुयकुतल दवलल ःरुणों कल भुगतलन कुलने में असमरुथतल कुल कलनूनी घुषणल है ।

## प्रमुख बलदु

### प्रमुख कुतलऱऱें:

- NCLT में रकुतऱयों:**
  - देश भर में NCLT कुल बरलंओ में सदसुयों कुल सुवीकुतल संखुयल कुल 63 है जलनलमें वरुतलनलन में केवल 29 सदसुय है ।
- सुवीकुतल में देरी:**
  - सलतलऱने कुलल कल NCLT दवलल इन्सॉल्वेंसी/दवलल मलमलों को सुवीकुलर कुलने में हुई देरी और सललधलन युओजलनलओं कुल मंजूरी, IBC के तहत सललसुलमल कल पललन न कुलने के प्रमुख कलरुण थे ।
  - NCLT कुल ओलर से मलमलों को सुवीकुलर कुलने में हुई देरी में कुुक से मललकुलें को फंड डलयवुलरु कुलने और परसलंपतुतलऱयों को सुथलनलंतलरतल कुलने

का अवसर मिला।

- **नर्णियों को चुनौती दी गई:**

- IBC के तहत कई हाई प्रोफाइल मामलों में हतिधारकों द्वारा कई नर्णियों को चुनौती दी गई। इनमें से कई अपील दवालाया कार्यवाही को धीमा करने के लयि की गई हैं।

- **वलंबित योजनाएँ:**

- जनि मामलों में लेनदारों ने नरिदषिट समयसीमा के बाद प्रसुतुत समाधान योजनाओं का मूलयांकन कयिा है, वे बोलीदाताओं को नरिधारति समयसीमा के भीतर बोली लगाने में हतोत्साहति करेंगे और ऐसी योजनाएँ देरी और मूल्यहवास को भी बढावा देती हैं।

#### सफारशें:

- **समय पर कार्रवाई:**

- NCLT द्वारा एक डफॉल्ट कंपनी को दवाला कार्यवाही में शामिल करने और 30 दनों के भीतर इसके नर्यितरण को एक समाधान पेशेवर को सौंपने की आवश्यकता है।

- **मंत्रालय को ज़मिमेदारी लेनी चाहयिे:**

- नोडल मंत्रालय के रूप में MCA को एनसीएलटी/**नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट टरबियूनल** में परचालन प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थति करने हेतु अधकि ज़मिमेदारी लेनी चाहयिे, जबकि समाधान, वसूली, समय आदिके संबंध में कार्य की गति, नपिटान और परणामों की लगातार नगरानी एवं वशिलेषण कयिा जाना चाहयिे।

- **IBC में संशोधन:**

- मौजूदा आरथकि माहौल में एमएसएमई, जो कि IBC के तहत परचालन लेनदार हैं, को अधकि सुरक्षा प्रदान करने के लयि आईबीसी में संशोधन कयिा गया है।
  - वत्तितीय लेनदार वे हैं जनिका इकाई के साथ संबंध एक शुद्ध वत्तितीय अनुबंध है, जैसे कऱ्त्रण या ऱ्त्रण सुरक्षा।
  - परचालन लेनदार वे हैं जनिका दायतिव इकाई संचालन को लेकर लेन-देन से है।

## राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण

#### परचिय

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) का गठन कयिा था।
- यह भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नर्यितरति करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायकि नकाय के रूप में स्थापति कयिा गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लयिा है।
- इसके पास भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नर्यितरति करने हेतु समग्र शक्तयिाँ मौजूद हैं।
  - NCLT और NCLAT की स्थापना के साथ कंपनी अधनियिम, 1956 के तहत गठति 'कंपनी लॉ बोर्ड' भंग कर दयिा गया था।
- यह नागरकि प्रक्रया संहति में नरिधारति नयिमों से बाध्य है और प्राकृतकि न्याय के सदिधांतों द्वारा नरिदेशति है, साथ ही यह अधनियिम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कसी भी नयिम के अधीन है।
- टरबियूनल और अपीलीय टरबियूनल को अपनी प्रक्रया को नर्यितरति करने की शक्ति है।

#### अपील

- टरबियूनल के आदेश के वरिद्ध NCLAT में अपील की जा सकती है। NCLT के आदेश या नरिणय से व्यथति कोई भी अपीलकर्त्ता आदेश या टरबियूनल के नरिणय की प्रतप्राप्त होने की तारीख से 45 दनों की अवधकिे भीतर अपील कर सकता है।

## राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण (NCLAT)

#### परचिय

- NCLAT का गठन कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) के आदेशों के खलिाफ अपील सुनने के लयि कयिा गया था।
- यह दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 61 के तहत पारति आदेश तथा दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत 'भारतीय दवाला और दवालियापन बोर्ड' (IBBI) द्वारा पारति आदेशों के खलिाफ भी एक अपीलीय अधकिरण है।

#### अपील

- NCLAT के कसी भी आदेश के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delays-in-corporate-insolvency>

